

राजस्व मण्डल राज.
अजमेर

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

08/01/25

श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

वकील अपीलान्त व निम्न अपीलान्त को बाट-बाट
आवाजे लगावायी जाने के बावजूद कोई उपाय-यत्न
नहीं हुआ है। अतः प्रकरण को अदम दोजिरी व अदम
पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली बाह्य दायित्व व तमदिल दायित्व धरल है।
आदेश सुनाया गया।

राजस्व मण्डल अजमेर
अजमेर

राजस्व मण्डल अजमेर
अजमेर

